रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2010/ज्येष्ठ 14, 1932
No. 305]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2010/JYAISTHA 14, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 मई, 2010

सा.का.नि. 465(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा 1 के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा पारादीप पत्तन न्यास को प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके उनके न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए पारादीप पत्तन न्यास (स्टीवडोर्स को लाइसेंस) विनियम, 2009 में संशोधन सहित अनुमोदित करती है, जैसा कि संलग्न अनुलग्नक में विवरण दिया गया है।

[फा. सं. एलबी-13018/4/2005-एल-II]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

अनुबंध

पारादीप पत्तन न्यास
(स्टीवडोर्स लाइसेंस) विनियम, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडल के न्यासी एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पारादीप पत्तन न्यास (स्टीवडोर्स लाईसेंस) विनियम, 2009 होगा।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 124 के अधीन के अपेक्षित राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.–इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) 'अधिनियम' से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है।

(ii) 'मंडल' से अधिनियम के अधीन बनाए गए पारादीप के पत्तन मंडल के न्यासी अभिप्रेत है।

(iii) 'अध्यक्ष' से मंडल का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(iv) 'प्रपत्र' से इन विनियमों के प्रपत्र संलग्न अभिप्रेत है।

(v) 'स्टीवडोर' से ऐसा व्यक्ति या एक फर्म जिसको विनियम 3 के अधीन स्टीवडोरिंग लाइसेंस प्रेषित है और ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो विनियम 10 के सद्‌गुण द्वारा स्टीवडोर्स हो और लादना/उतारना का काम, पत्तन में जलयान पर किसी भी प्रकार में कार्गो का गोदाम अभिप्रेत है।

(vi) 'यातायात प्रबंधक' से अधिकारी जो पारादीप पत्तन न्यास का यातायात विभाग में कुछ समय के लिए प्रभारी और उप और सहायक यातायात प्रबंधकों के समावेश और कोई यातायात प्रबंधक के प्राधिकारी के अधीन कार्यरत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है।

3. परिधि.—स्टीवडोरिंग में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं :—

(i) स्टीवडोरिंग पत्तन द्वारा की जाएगी।

(ii) स्टीवडोरिंग लाइसेंस प्राप्त स्टीवडोर्स द्वारा की जाएगी।

(iii) बी.ओ.टी टर्मिनल ऑपरेटर द्वारा स्टीवडोरिंग।

4. स्टीवडोरिंग लाइसेंस को जारी करना।

(i) अध्यक्ष आवेदन पर तीन वर्षों की अवधि के लिए स्टीवडोरिंग लाइसेंस जारी करेगा, ऐसा व्यक्ति जो स्टीवडोर्स के रूप में पत्तन में जलयानों के मध्य सामानों के उतारने और परिवहन और व्हार्फ्स, पायर्स, क्वेज अथवा बंदरगाह से संबंध रखने वाले या बोर्ड के कहने पर या पत्तन के भीतर जलयान के स्टीवडोर्स में अन्य कोई सम्मिलित कार्य हो।

(ii) किसी भी स्टीवडोर्स को इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी अनुज्ञप्ति को छोड़ कर पत्तन में किसी जहाज पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) अनुज्ञप्ति को पत्तन द्वारा निश्चित न्यूनतम प्रत्याभूति पूर्ण तथा/निर्धारित योग्यता प्राचल प्राप्ति के आधार पर ही नवीनीकरण किया जाएगा।

(iv) यदि स्टीवडोर्स अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है या नवीनीकरण के लिए योग्य परन्तु रक्षा अनुमति प्रतीक्षा में है, तब पत्तन क्षतिपूर्ति बंध-पत्र कार्यान्वित कर स्टीवडोरिंग कार्य की अनुमति देगा।

5. ऐसा कार्य करने के लिए स्टीवडोरिंग कार्य करना/क्षमता का प्रमाण का उत्पादन करना।

स्टीवडोरिंग के लिए लाइसेंस तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक आवेदनकर्ता प्रमाण नहीं देता है :—

(क) कि वह समय समय पर मंडल द्वारा विभिन्न पण्यों के निर्दिष्ट और निर्गत प्रतिमानकों का पालन करता हो/ करेगा।

(ख) कि उसकी वित्तीय स्थायी कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मजदूरी अधिनियम, 1963 के भुगतान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत मजदूरों और नियुक्त स्टाफ के मजदूरी क्षतिपूर्ति के दायित्वों से मेल खाती हो या कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून प्रभाव में आ जाए और (5) पांच लाख रु. नकद या बैंक ड्राफ्ट में जमा करवाए जो लाइसेंस के समाप्ति के बाद लौटा दिया जाएगा।

(ग) कि वह वचनबद्ध है कि वे ऐसे चार (4) पर्यवेक्षी कर्मचारी-वर्ग जिन्हें कार्गो संचालन का कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो नियुक्त करेंगे और लाइसेंस के प्रेषण/नवीनीकरण के लिए आवेदन अपने कर्मचारियों के विवरण के साथ जमा कराएंगे।

(घ) कि वह इस स्थिति में हो कि वह मंडल द्वारा निर्धारित न्यूनतम नैयर के अनुसार दक्षता के साथ स्टीवडोरिंग करेंगे।

नोट : जलयान मालिक, जलयान चालक, स्टीमर एजेंट और आयातक तथा निर्यातक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए योग्य होंगे।

6. स्टीवडोर्स के कार्य और जिम्मेदारियां.—प्रत्येक स्टीवडोर पर, स्टीवडोरिंग लाइसेंस की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का दायित्व होगा, अर्थात् :—

(क) वह उसके द्वारा नियुक्त किए गए सारे स्टॉफ और कर्मियों द्वारा स्थानांतरण किए जा रहे सामान की ढुलाई अथवा नौवहन के कार्य अथवा उनसे जुड़े कार्यों के दौरान भारतीय डॉक कामगार अधिनियम, 1964; भारतीय डॉक कामगार विनियम, 1948; डॉक कामगार (सुरक्षा) स्वास्थ्य एवं कल्याण योजना 1961 तथा उनके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 और उनके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम और योजनाओं का उचित अनुपालन सुनिश्चित करेगा जो कि इस प्रकार के प्रचालनों से संबंधित हो और उस समय लागू हों।

(ख) वह पत्तन द्वारा दिए गए कामगारों को काम पर लगा कर उनके अपने अथवा किराए पर लिए गए गियरों के साथ काम करेगा यदि पत्तन स्टीवडोर द्वारा बताई गई अपेक्षा के मुताबिक अपेक्षित कामगारों की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो वह इस प्रयोजन से पत्तन की अनुमति से स्वयं अपनी व्यवस्था करेगा।

(ग) वह उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी गियर के परिणामस्वरूप होने वाली किसी दुर्घटना अथवा क्षति के लिए अकेला ही उत्तरदायी होगा।

(घ) वह उसके द्वारा निष्पादित किए जा रहे सभी प्रचालनों से संबंधित सुरक्षा के सभी स्वीकृत तरीकों का अनुपालन करेगा।

(ङ) वह उसके द्वारा निष्पादित किए गए प्रचालनों से उठने वाले सभी थर्ड पार्टी दावों के लिए बोर्ड को उत्तरदायित्व से मुक्त रखेगा।

(च) जब कभी भी बोर्ड को किसी स्टीवडोर द्वारा अथवा उसके द्वारा काम पर लगाए गए किसी कामगार अथवा कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के दौरान और उसके कारण होने वाली किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने किसी कर्मचारी अथवा कामगारों अथवा उनके आश्रितों को हर्जाना देना पड़ता है तो स्टीवडोर इस प्रयोजन से और इस प्रकार भुगतान की गई किसी राशि की प्रतिपूर्ति बोर्ड को करेगा, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत यथा निर्धारित हर्जाने की मात्रा को बोर्ड और स्टीवडोर के बीच मान्य और अंतिम माना जाएगा।

(छ) यदि इस प्रकार के किसी प्रचालन में बोर्ड को कोई गीयर, संयंत्र और अन्य परिसंपत्तियों को कोई नुकसान होता है तो स्टीवडोर बोर्ड को इस प्रकार के नुकसान अथवा क्षति की क्षतिपूर्ति करेगा जिसकी सीमा का निर्धारण उचित जांच के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ज) वह पारादीप पत्तन न्यास और उसके बीच हर्जाने के भुगतान उसकी मात्रा अथवा इससे संबंधित किसी प्रश्न के संबंध में होने वाले किसी विवाद अथवा मतभेद को बोर्ड द्वारा नामित मध्यस्थ को भेजे जाने पर सहमत होगा।

(झ) वह उस प्रत्येक जलयान में कम से कम एक अनुभवी व्यक्ति को पर्यवेक्षण के लिए तैनात करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके संबंध में उसने स्टीवडोरिंग प्रचालन का काम अपने हाथ में लिया है।

(ञ) वह अध्यक्ष यातायात प्रबंधक अथवा बोर्ड के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर मांगी गई जानकारी को तुरंत उपलब्ध करवाएगा।

(ट) वह यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड की सभी बकाया देनदारियों का भुगतान निर्धारित तारीखों पर किया जाए, जिसमें असफल रहने पर उसके लाईसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा और उसे इन विनियमों के तहत रद्द किया जा सकेगा।

(ठ) वह सुरक्षा की अपेक्षाओं के साथ-साथ अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा काम पर लगाए गए कामगारों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।

(ड) वह कार्यों की संबंधित किस्म के लिए परीक्षित सभी आवश्यक कपड़े, उपस्कर उपलब्ध करवाएगा।

(ढ) वह इंस्पेक्टर डॉक सुरक्षा अथवा यातायात प्रबंधक अथवा किसी अन्य अधिकारी की मांग पर अथवा आवधिक रूप से आवश्यक तापानुशीतन और परीक्षण प्रमाणपत्रों सहित कपड़ों, उपस्करों को जांच हेतु उपलब्ध करवाएगा।

(त) वह कामगारों को कार्गो की किस्म के लिए आवश्यक उचित सुरक्षात्मक उपस्कर उपलब्ध करवाएगा।

(थ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि कामगार मध्यान्तर के समय को छोड़कर शिफ्ट की पूरी अवधि के दौरान कार्यस्थल पर मौजूद हों और सामान्य निष्पादन दें तथा जब भी निष्पादन सामान्य स्तर से नीचे गिर जाए तो निष्पादन को सुधारने के प्रयोजन से प्रभावी कदम उठाएगा।

(द) वह सहायक प्रचालनों जैसे कि जलयानों पर कार्गो की फिलिंग, स्टिचिंग, सफाई, ब्रेकिंग, स्टेकिंग, स्टोरेज आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा और जब कभी भी इस प्रकार के कार्यों के लिए दिहाड़ी कामगारों को काम पर लगाया जाता है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के कामगारों को बीमा योजना की सुरक्षा दी जाए।

(ध) स्टीवडोरिंग कर्मियों को उत्पादकता, कार्यकुशलता और सुरक्षा में सुधार के लिए कार्गो संभलाई के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(न) वह अध्यक्ष महोदय से पहले से लिखित में अनुमोदन लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति को लाईसेंस के तहत किसी हित अथवा लाभ को प्रदान, हस्तांतरित अथवा किसी भी तरीके से विपणन नहीं करेगा।

(प) वह सुरक्षा, बेहतर उत्पादकता और श्रमिक अनुशासन के हित में यातायात प्रबंधक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले इस प्रकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(फ) वह स्टीवडोरिंग लाईसेंस की अवधि के दौरान सुरक्षा और अन्य वैध धरोहरों को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

(ब) वह निर्धारित शुल्क पत्तन को अग्रिम में देगा।

7. लाईसेंस प्रदान करने/नवीकरण का आवेदन

(1) स्टीवडोरिंग लाईसेंस प्रदान किए जाने/नवीकरण किए जाने का आवेदन यातायात प्रबंधक को फार्म-ए में किया जाएगा ।

(2) आवेदक लाईसेंस जारी किए जाने/नवीकरण किए जाने से पहले ही 50,000 रु. लाईसेंस शुल्क (पचास हजार रु.) का भुगतान करेगा । प्रत्येक लाईसेंसधारक स्टीवडोर 5,00,000 (पांच लाख रु.) की राशि लाईसेंस के अंतर्गत उचित निष्पादन उचित निष्पादन के लिए धरोहर जमा राशि के रूप में जमा करेगा । धरोहर जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे लाईसेंस के रद्द होने/सरेंडर कर देने/अवधि समाप्त हो जाने और दावों के समायोजन, यदि कोई बोर्ड द्वारा देय हों, के पश्चात् वापस कर दिया जाएगा ।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अथवा नवीकरण किए गए प्रत्येक लाईसेंस फार्म-बी में होगा ।

यदि नवीकरण के लिए आवेदन तीन महीनों के निर्धारित समय में नहीं प्राप्त होती है तो इस प्रकार के आवेदनों को 50 रु. (पचास रुपए) के विलंब शुल्क के साथ केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है :

बशर्ते कि नवीकरण का आवेदन विलंब शुल्क के साथ यातायात प्रबंधक द्वारा लाईसेंस समाप्त होने की वास्तविक तारीख से पहले प्राप्त कर लिया जाए ।

(5) फार्म 'क' में आवेदन प्राप्त होने पर, अध्यक्ष कोई लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं/नवीकरण कर सकते हैं अथवा लाईसेंस प्रदान करना/नवीनीकरण करना अस्वीकार कर सकते हैं, इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं ।

(6) आगे यह प्रावधान किया जाता है कि ऐसी अस्वीकृति आवेदक को लिखित में संसूचित की जाएगी ।

(7) मूल लाइसेंस के गुम हो जाने अथवा विकृत करने की स्थिति में, 100.00 (एक सौ रुपए मात्र) के भुगतान पर यातायात प्रबंधक को दिए गए एक आवेदन पर लाइसेंस की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) दी जा सकती है ।

(8) नाम, संघटन इत्यादि में बदलाव, संसूचित किए जाएं :

(1) जहाँ स्टीवडोर एक कम्पनी की फर्म है, उसे निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा साझेदारों में किसी भी बदलाव के बारे में, ऐसे बदलाव के संबंध में कागजात की एक प्रति सहित इस मामले को अध्यक्ष को तुरन्त संसूचित किया जाएगा ।

(2) स्टीवडोरिंग लाइसेंसधारी किसी फर्म अथवा किसी कंपनी के नाम, शीर्षक या संघटन में किसी बदलाव को अध्यक्ष को तत्काल संसूचित किया जाएगा । चल रही फर्म अथवा कंपनी में किसी बदलाव के संबंध में नया लाइसेंस लिए जाने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा :

बशर्ते कि अध्यक्ष, किसी आवेदन के किए जाने पर कोई निर्णय लिए जाने तक किसी फर्म अथवा कंपनी को कारोबार किए जाने की अनुमति दे सकते हैं।

8. लाइसेंसों का निलम्बन :

(1) अध्यक्ष, किसी भी समय किसी भी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझता हो, तो, नीचे सूचीबद्ध किए गए किसी भी कारणों से अथवा लाइसेंस की किसी भी शर्तों के उल्लंघन के लिए स्टीवडोर के लिए जारी लाइसेंस को निलंबित कर सकते हैं अथवा रद्द कर सकते हैं:—

(i) स्टीवडोरिंग फर्म के सी ई ओ को नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध के मामले में न्यायालय ने कारावास की सजा दे दी है जो छः महीने से कम नहीं होगी और सजा पूरी होने की तिथि से 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं ।

(ii) पत्तन न्यूनतम गारंटी निपज/पत्तन द्वारा निर्धारित मापदंड से कम हैंडिल करता है ।

(iii) सुरक्षा विनियमनों और अनिवार्य डॉक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है ।

(iv) अनुचित और असुरक्षित हैंडलिंग तरीकों को अपनाता है ।

(v) निर्णीत दिवालिया अथवा समाप्ति की तरफ ।

(vi) स्टीवडोरिंग कार्मिकों पर पर्यवेक्षण की कमी ।

(vii) पत्तन के किसी काम में रुकावट डालना ।

(viii) विषयवस्तु को गलत ढंग से प्रस्तुत करना ।

(ix) स्टीवडोरिंग प्रचालन का अंतरण अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा पार्टी को लाइसेंस देना ।

(x) कोई कदाचार जो अध्यक्ष की राय में ऐसे निरस्तीकरण अथवा स्थगगन का कारण बनता है ।

(xi) किसी अवैधानिक/भ्रष्ट आचरण में शामिल ।

(2) किसी स्टीवडोरिंग लाइसेंस को तब तक निरस्त अथवा स्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टीवडोर से यह पूछने के लिए उन्हें उचित अवसर नहीं दिया जाता है कि क्यों नहीं उनके लाइसेंस को निरस्त अथवा स्थगित नहीं कर दिया जाए और ऐसे निरस्तीकरण अथवा स्थगन का कारण रिकार्ड करने के उपरांत ।

9. अपील :

(1) इन विनियमनों के तहत लाइसेंस के निरस्तीकरण, स्थगन अथवा अस्वीकार होने से आहत कोई व्यक्ति आदेश जारी होने से तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है ।

(2) अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत केन्द्र सरकार अपील पर ऐसा आदेश जारी करेगी जो वह उचित समझेगी ।

(3) उप-विनियमन (1) में किसी अन्य चीज के रहने के बावजूद तीस दिनों की अवधि के उपरांत अपील स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता सरकार को संतुष्ट कर देता है कि उक्त अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण है ।

10. इन विनियमनों में किसी चीज के रहने के बावजूद स्टीवडोरिंग लाइसेंस जो कि इन विनियमनों के जारी होने की तिथि को लागू था उसे इन विनियमनों के तहत जारी माना जाएगा और यह ऐसे लाइसेंस की समाप्ति की तिथि तक वैध रहेगा ।

11. निरसन,—इस विनियमन के लागू होने की तिथि से स्टीवडोरिंग लाइसेंस से संबंधित पारादीप पत्तन नियमावली, 1966 के नियम सं. 62, 63 और 64 निरस्त हो जाएंगे ।

फार्म 'क'

सेवा में,

यातायात प्रबंधक,

पारादीप पत्तन न्यास

स्टीवडोरिंग लाइसेंस प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए आवेदन फार्म

1. आवेदक का नाम :
2. क्या आप व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी (पार्टनरशिप/कंपनी अनुच्छेद प्रस्तुति सहित) है ?
3. पूर्ण पता :
4. कितने वर्षों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है :
5. स्टीमशिप कंपनी/चार्टर ऑफ शिप/आउनर ऑफ कार्गो के नाम जिनके साथ अपने जलयान/कार्गों से माल ढुलाई का ठेका है और प्रस्तावित है (ठेके की अवधि से संबंधित साक्ष्य संलग्न करें) । प्रत्येक पार्टी का अनुमानित टनभार इंगित करें ।
6. *इस क्षेत्र में पूर्व का अनुभव :
   (नये आवेदक के मामले में पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्गो और टनभार की ढुलाई और नवीनीकरण के लिए 2 वर्षों का विवरण)
7. मजदूरी, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, इत्यादि के तहत क्षतिपूर्ति के दायित्व को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता का साक्ष्य ।
   (वित्तीय क्षमता के संबंध में बैंकर्स का प्रमाण-पत्र सहित आयकर अनुमानित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें)
8. ठेके के जलयान/कार्गो से ढुलाई कराने के लिए क्या आवेदन पर्याप्त गियर प्राप्त करने के इच्छुक हैं ।
   (अनावश्यक प्रमाण-पत्र सहित गियर की सूची प्रस्तुत करें)
9. दो वर्षों के कार्गो हैंडलिंग अनुभव सहित चार पर्यवेक्षी कर्मचारियों का विस्तृत विवरण ।
10. क्या आवेदक ने पत्तन न्यास को देय सभी प्रकार का भुगतान कर दिया है?
11. क्या आवेदक ने निम्नलिखित जमा करवाया है :
   (क) 50,000 रु. का अनुज्ञप्ति शुल्क (कृपया विवरण दें)
   (ख) 5,00,000 रु. का प्रतिभूति जमा (कृपया विवरण दें)

मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सच है ।

मैं लाइसेंस प्रदान करने के लिए किए गए निवेदन पर विचार करने हेतु कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं ।

यदि लाइसेंस जारी/नवीनीकृत होता है तो मैं पारादीप पत्तन न्यास (स्टीवडोरिंग का लाइसेंस) विनियमन, 2009 का पालन करते हुए पारादीप पत्तन न्यास द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देश का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

*कालम 5 और 6 नये आवेदक अथवा परिवीक्षाधीन आवेदक के मामले में लागू नहीं होंगे।

फार्म "ख"

(पारादीप पत्तन न्यास का प्रतीक चिह्न)

पारादीप पत्तन पर स्टीवडोरिंग के प्रचालन हेतु लाइसेंस

1. लाइसेंसधारी का नाम ....
2. पता ....
3. लाइसेंस जारी होने की अवधि .... से .... तक
4. उल्लेखनीय अन्य विवरण
....
5. ....
6. ....
7. ....

मुहर

अध्यक्ष

पारादीप पत्तन न्यास

शर्तें :

1. यह लाइसेंस महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और पारादीप पत्तन न्यास (स्टीवडोरिंग का लाइसेंस) विनियमन, 2009 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है।
2. ....
3. ....

(यहाँ उन शर्तों को इंगित करें जिसके तहत लाइसेंस दिया जाता है जैसे - मसौदा विनियमन के विनियमन 5 में सूचीबद्ध कर्तव्य और दायित्व)

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2010

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Paradip Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulation, 2009 made by the Board of Trustees of Paradip Port in exercise of the powers conferred on them by Section 123 of the said Act, as detailed in the Schedule annexed to this Notification.

[F. No. LB-13018/4/2005-L-II]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.